न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/172/2019	2019/00505	28.11.2019	14.11.2022

उनवान

1. विकास गुप्ता पुत्र महेन्द्र गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 **—अपीलान्ट**

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार नीमराना का निर्णय दिनांक 11.04.2019 नामान्तकरण संख्या 3750 वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री मनीष कुमावत **—वकील अपीलान्ट**

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 11.04.2019 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 3750 वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 जिसे बेजा तौर पर अस्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसकी जानकारी पटवारी हल्का से नकल लेने जाने पर दिनांक 17.10.2019 को हुई। जिसकी नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील पेश की गयी। आदेश दिनांक 11.04.2019 से दिनांक 17.10.2019 तक का समय दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत कंडोन किये जाने योग्य है। जिसके लिए पृथक से प्रा0पत्र पेश किया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2214 रकबा 0.28 है0 का 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.37 है0 का 30/37 हिस्सा कुल रकबा 0.1025 है0 वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 01.02.2019 को खरीद की थी तथा खरीद के बाद अपीलांट बतौर काश्तकार काबिज है। उक्त बयनामा इंतकाल दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को दिया तो पटवारी हल्का ने इंतकाल पर खिलाफ मौका व कानून मौके पर प्लॉटिंग होना अंकित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने व बिना मौका देखे इंतकाल गलत तौर पर खारिज कर दिया। आराजी मौके पर कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है। किन्तु पटवारी हल्का व आईएलआर ने इंतकाल पर मौके के विरूद्ध प्लॉटिंग किये जाने का नोट लगा दिया। उक्त खसरा नम्बरों में से दिनांक 11.02.2019 को अमित कुमार पुत्र महावीर प्रसाद द्वारा खरीदशुदा आराजी के हिस्से का इंतकल तहसीलदार नीमराना द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अपीलांट ने विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की थी। बयनामा के आधार पर इंतकाल स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2019 को निरस्त किया जाये एवं अपीलान्ट के नाम खरीदशुदा विवादित

जिला कलक्टर, अलवर

आराजी वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर का इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.04.2019 के विरूद्ध दिनांक 04.11.2019 को पेश की गयी है। जो करीब 7 माह बाद पेश की गयी है। उक्त अवधि को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के न्यायिक दिष्टांतों के मध्धेनजर नरमी का रूख अपनाते हुए कंडोन किया जाता है। प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में संलग्न विवादित इंतकाल की प्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 05.04.2019 को उक्त खसरा नम्बरान पर प्लॉटिंग होने की रिपोर्ट अंकित की गयी है। साथ ही आईएलआर की रिपोर्ट दिनांक 05.04.2019 में भी मौके पर प्लॉटिंग होना अंकित किया है। उक्त रिपोर्टो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित इंतकाल दिनांक 11.04.2019 को खारिज किया गया है। कृषि भूमि पर प्लॉटिंग होने की स्थिति में खरीदशुदा आराजी को खरीददार के नाम इंतकाल दर्ज नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् निर्णय पारित किया गया। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर